



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Phone : 0731-2811189, 2811553, 2811554,

Mobile No. 9406800317, Email – sanchi13a@gmail.com

!! सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु ई-निविदा सूचना !!

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा दुग्ध संयंत्र इन्दौर से संपूर्ण इन्दौर शहर में साँची दुग्ध पदार्थ, बटर एवं आईसक्रीम वितरण हेतु रेफ्रीजरेटेड वाहन से सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु ई-निविदा के माध्यम से Online दरें आमंत्रित की जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए आवेदन एम.पी.सी.डी.एफ. की वेब साईट sanchidairy.com पर देखा जा सकता है एवं निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य रु. 1,000/- का भुगतान कर वेबसाईट www.mptenders.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

Key Information :-

ई-निविदा प्रपत्र कय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	ई-निविदा वित्तीय बीड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	प्री-बीड मीटिंग की दिनांक एवं समय	तकनीकी बीड खोलने की दिनांक एवं समय	ई.एम.डी. राशि
13.10.2021 दोपहर 12:00 बजे तक	13.10.2021 दोपहर 12:00 बजे तक	05.10.2021 दोपहर 3:00 बजे तक	14.10.2021 दोपहर 1:00 बजे तक	1,00,000.00

निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

इस निविदा सम्बन्धी कोई संशोधन होता है तो वह ऊपर वर्णित वेबसाईट के अलावा अन्यत्र कहीं भी प्रकाशित नहीं की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा दुग्ध संयंत्र इन्दौर से इन्दौर शहर में साँची दुग्ध पदार्थ, बटर एवं आईस्क्रीम हेतु रेफ्रिजरेटेड वाहन से सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु ई-निविदा प्रपत्र

ॐ निविदा आवेदन पत्र १०
वर्ष 2021 - 2022



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Phone : 0731-2802554, Fax No. 0731-28011559

Email - sanchi13a@gmail.com

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
चांदा तलावली, मागलिया, इन्दौर

☪ सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु ई-निविदा प्रपत्र ☪

- | | | |
|------|--|---|
| (1) | ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय। | 13-10-2021 दोप. 12.00 बजे तक। |
| (2) | ई-निविदा (ऑन लाईन) जमा करने की अंतिम दिनांक व समय | 13-10-2021 दोप. 12.00 बजे तक। |
| (3) | निविदा खोलने की तिथि एवं समय। | 14-10-2021 दोप. 01.00 बजे। |
| (4) | प्री-बीड मीटिंग दिनांक एवं समय | 05-10-2021 दोप. 03.00 बजे। |
| (5) | निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि। | रु. 1,00,000/-
(अक्षरी रु. एक लाख मात्र) |
| (6) | सुपरस्टॉकिस्ट हेतु तकनीकी अर्हताओं का प्रारूप। | प्रपत्र 01 |
| (7) | सुपरस्टॉकिस्ट की सामान्य शर्तें। | प्रपत्र 02 |
| (8) | सामान्य जानकारी आवेदन पत्र | प्रपत्र 03 |
| (9) | विपणन मार्ग की जानकारी | प्रपत्र 04 |
| (10) | “भाव पत्र/दरे” प्रस्तुत करने का प्रारूप। (ऑन लाईन) | प्रपत्र 05 |

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

विषय :- साँची दुग्ध पदार्थ, बटर एवं आईसक्रीम सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

साँची दुग्ध पदार्थ, बटर, आईसक्रीम सुपरस्टॉकिस्ट हेतु दिनांक को समाचार पत्र मे प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ मे निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र मे वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ कर समझ लिये गये है। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मै आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

क्रं.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा मे पंजीयन का प्रमाण	(विवरण ऑन लाईन प्रस्तुत करें)
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता एवं पार्टनरशिप डीड संलग्न करें।	
3.	संस्था/फर्म होने की दशा मे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	
4.	निविदाकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।	
5.	पान नम्बर की प्रति संलग्न करें।	
6.	परिवहन कार्य हेतु स्वयं के पास उत्पाद परिवहन हेतु पर्याप्त संख्या/क्षमता के रेफ्रीजरेटेड वाहन जिसमे न्यूनतम दो वाहन 2 ⁰ C से 4 ⁰ C के एवं न्यूनतम एक वाहन (-) 18 ⁰ C से (-) 25 ⁰ C का होना चाहिए। जिसके दस्तावेज प्रस्तुत करें। अन्यथा नये वाहन खरीदने की दशा में रु. 100/- के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
7.	खाद्य एवं सुरक्षा का लाईसेंस/पंजीयन की प्रति एक वर्ष पूर्व की पंजीकृत होना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन अमान्य किया जावेगा।	
8.	इन्कम टैक्स रिटर्न वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 दो वर्षों की ITR की पावती प्रस्तुत करना होगी।	
9.	वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 तीनों वर्षों का कुल रु. 30 करोड़ का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। टर्न ओवर हेतु वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 का सी.ए. द्वारा प्रमाणित जिसमें UDIN नं. एवं व्यवसाय का प्रकार सहित प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा। दूध एवं दुग्ध पदार्थ व्यवसायी ही पात्र होंगे।	
10.	आवेदनकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाना अनिवार्य है।	
11.	निविदाकर्ता का जी.एस.टी. नम्बर की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।	
12.	निविदाकर्ता का संबंध अध्यक्ष/संचालक <u>मण्डल के सदस्यों, दुग्ध</u> संघ के अधिकारी /कर्मचारी से संबंध नहीं है एवं किसी भी दुग्ध संघ द्वारा ब्लेकलिस्ट नहीं किया गया हो रु. 100 के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
13.	इस निविदा मे कार्यरत वितरक द्वारा भाग लिया जाता है तो दुग्ध संघ से/दूध सुपर स्टाकिस्ट/घी सुपर स्टाकिस्ट से एन.ओ.सी. प्राप्त कर करना होगी।	
14.	ई.एम.डी. राशि ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगी।	

नोट - उपरोक्त दर्शित बिन्दुओं से संबंधित जानकारी/प्रमाणक ऑन लाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर - - - - -

नाम - - - - -

पता - - - - -

- - - - -

दूरभाष/मोबाईल नम्बर- - - - -

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
**साँची दुग्ध पदार्थ, बटर एवं आईसक्रीम सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता निविदा हेतु
आवश्यक शर्तें**

- 1) आवेदनकर्ता को चाहे गए समस्त दस्तावेज ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) आवेदक को ऑन लाईन राशि रु. रूपये 1,00,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
- 3) सफल निविदाकार की नियुक्ति पश्चात संघ में प्रतिभूति राशि पेटे रूपये 25.00 लाख नकद आर.टी.जी. एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा करना होगा तथा 25.00 लाख की बैंक ग्यारंटी दुग्ध संघ में प्रस्तुत करना होगी। ई.एम.डी. राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा। दुग्ध पदार्थ, बटर, आईसक्रीम विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि में वृद्धि की जावेगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ई.एम.डी. राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा। इस प्रकार कुल प्रतिभूति राशि रु. 51.00 लाख होगी।
- 4) असफल निविदाकारों की ई.एम.डी. राशि एम.पी. टेण्डर्स के नियमानुसार वापस की जावेगी।
- 5) निविदाकार के पास परिवहन कार्य हेतु स्वयं के पाँच रेफ्रिजरेटेड वाहन क्षमता अनुसार जिसमें न्यूनतम चार वाहन 20 C से 40 C के एवं न्यूनतम एक वाहन (-) 180 C से (-) 250 C का होना चाहिए। रेफ्रिजरेटेड वाहन मॉडल वर्ष 2016 अथवा उसके बाद के पंजीकृत वाहन होना चाहिए **वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ** से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी।
- 6) सफल निविदाकार को रेफ्रिजरेटेड वाहन 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। जब तक वाहन स्वयं के नाम से उपलब्ध नहीं हो तब तक कार्य जारी रखने के लिए वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करना होगी। दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध ब्राण्डिंग/विनाईल स्वयं के व्यय से कराना होगी।
- 7) मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के व्यवसायियों को ई-निविदा में प्रतिभूति राशि के भुगतान से छूट रहेगी परंतु एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) का पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 8) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार रहेंगे :-
 - ☒ सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता को कार्य क्षेत्र में सभी पार्लर/एजेन्सियों की मांग पूर्ति हेतु वाहन भेजना आवश्यक होगा।
 - ☒ सुपरस्टॉकिस्ट को रेफ्रिजरेटेड वाहन (+ -) संचालित करना होगा।
 - ☒ सुपरस्टॉकिस्ट को भरी एवं खाली क्रेटों का हिसाब रखना होगा एवं संघ को प्रत्येक माह मिलान हेतु हिसाब प्रस्तुत करना होगा। साथ ही प्रतिदिन जितनी भरी क्रेटें प्रदाय होती है उतनी ही संख्या में खाली क्रेटें निर्धारित समय पर जमा करना होगी।
 - ☒ सुपरस्टॉकिस्ट को साँची दुग्ध पदार्थ, बटर, आईसक्रीम की वेरिएंट अनुसार मांग एकत्रित कर, गणना कर निर्धारित समय पर ई-मेल द्वारा प्रतिदिन दुग्ध संयंत्र को देना होगी।
 - ☒ सुपरस्टॉकिस्ट के पर्यवेक्षक/वाहन चालक, वाहनों में हो रहे दुग्ध पदार्थ, बटर, आईसक्रीम लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि दुग्ध पदार्थ हर तरह से अर्थात् गुणवत्ता, शीतलीकृत तापमान, लीकेज, वजन, क्रेट में निर्धारित संख्या पैकेट आदि से अच्छा है, इसके पश्चात् संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु यह आवश्यक होगा की सुपरस्टॉकिस्ट अपने पर्यवेक्षक के नाम मय फोटो I.D. प्रूफ के संघ में जमा करावेगा ताकि उनकी अनुपस्थिति रिकार्ड संघ में रखा जा सके। पर्यवेक्षकों की अनुपस्थिति के विरुद्ध प्रबन्ध द्वारा निर्धारित पैनल्टी लगाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
 - ☒ सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा दुग्ध पदार्थ, बटर, आईसक्रीम विक्रय की मांग अनुसार राशि NEFT/RTGS के माध्यम से अग्रिम दुग्ध संघ खाते में जमा करने के पश्चात् ही साँची उत्पाद प्रदाय किया जावेगा। राशि जमा नहीं होने पर दुग्ध पदार्थ प्रदाय करना संभव नहीं होगा। यदि दुग्ध पदार्थ प्रदाय बाधित होता है तो सुपरस्टॉकिस्ट की सेवा समाप्त की जा सकती है।

- ✍ सुपरस्टॉकिस्ट को वितरक/रिटेलर की मांग अनुसार **इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर** के नाम अकाउण्ट-पे रेखांकित पांच चैक अग्रिम में संघ को देना होगा। जिसका विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।
- ✍ सफल निविदाकार को इन्दौर शहर के 19 झोन में साँची दुग्ध पदार्थ, बटर, आईसक्रीम विक्रय हेतु वितरक नियुक्ति करने के लिए महाप्रबंधक विपणन को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- ✍ इन्दौर शहर के चारों झोन में रेफ्रीजरेटेड वाहन संचालित करना होगा। इन्ही क्षेत्रों में 02 वाहन (-)18⁰ से (-)25⁰ की आईसक्रीम एवं टेबल बटर हेतु संचालित करना होगा।
- ✍ सुपर स्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता को आईसक्रीम विक्रय पर समय-समय पर निर्धारित आईसक्रीम दर संरचना के अनुसार वितरक दर पर प्रदाय किया जावेगा।
- ✍ सुपर स्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा वर्तमान में प्रचलित निर्धारित मार्जिन वितरक/विक्रेताओं को देना होगा, जो समय-समय पर परिवर्तनशील होने पर सुपर स्टॉकिस्ट को मान्य करना होगा।
- ✍ सुपर स्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता को साँची दुग्ध उत्पाद विक्रय हेतु इन्दौर शहर में भंडारण हेतु पृथक से व्यवस्था करना होगी।
- ✍ इस ई-निविदा में साँची दुग्ध पदार्थ, बटर विक्रय पर सुपर स्टॉकिस्ट को वर्तमान में दिया जाने वाला मार्जिन को परिवहन दर में शामिल किया गया को ध्यान में रखते हुए निविदाकार द्वारा ऑनलाईन परिवहन दरें प्रति लीटर या प्रति किलो में प्रस्तुत करेंगे। सफल सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा परिवहन देयक प्रति माह भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। पृथक से मार्जिन देय नहीं होगा।
- 9) यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता की दरों में भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेगी। दर वृद्धि/कमी का आधार संघ की स्थापित प्रणाली से होगा।
- 10) ई-निविदा में प्राप्त परिवहन दर समान आने पर लॉटरी पद्धति से निविदाकार का चयन किया जावेगा।
- 11) सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा भेजा जाने वाला वाहन यदि रास्ते में खराब होता है तो सुपरस्टॉकिस्ट का प्रमुख दायित्व रहेगा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।
- 12) सुपरस्टॉकिस्ट को सम्पूर्ण क्षेत्र में किन्ही विपरीत परिस्थिति जैसे शहर बंद, कर्फ्यू, निजी दुग्ध पदार्थ व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को दुग्ध पदार्थ प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि शामिल नहीं होगा। प्रदायगी प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार करना होगा।
- 13) सुपरस्टॉकिस्ट को संघ द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण क्षेत्र में साँची दुग्ध पदार्थ के व्यवस्थित वितरण हेतु व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले क्षेत्रीय वितरण वाहन (2016 या उसके बाद के मॉडल) रेफ्रीजरेटेड होकर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था भी करना होगी।
- 14) सुपरस्टॉकिस्ट को दुग्ध पदार्थ प्रदाय करते समय उसकी जाँच-परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने पश्चात् किसी भी प्रकार लीकेज/कम मात्रा, क्रेट आदि की जिम्मेदारी सुपरस्टॉकिस्ट की रहेगी।
- 15) सुपरस्टॉकिस्ट को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रुपये 1,000/-** के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध, जमानतदार सहित निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल साँची दुग्ध पदार्थ वितरण/विक्रय हेतु आवंटित क्षेत्रों हेतु पूर्णतः अस्थायी रूप से 3 वर्ष की अवधि हेतु सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्त किया जावेगा। तत्पश्चात् कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक एक वर्ष कर दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।
- 16) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता को एक माह का पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में विपणन मार्ग बंद करने का अधिकार प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को तीन माह का अग्रिम लिखित नोटिस सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता (दुग्ध पदार्थ, बटर, आईसक्रीम) का कार्य छोड़ने बाबद् देना होगा।


- 17) संघ से क्रय की गई दुग्ध पदार्थ मात्रा की राशि NEFT/RTGS के माध्यम से संघ खाते में अग्रिम जमा करवानी होगी। बैंक अवकाश के दिनों में भी ऑन लाईन राशि दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम हस्तांतरण कराना अनिवार्य है।
- 18) सुपरस्टॉकिस्ट की नियुक्ति पश्चात समस्त संचालित वाहनों पर ब्राण्डिंग संघ द्वारा दी गई डिजाईन अनुसार सुपर स्टॉकिस्ट को करना होगा।
- 19) निविदा प्रपत्र के साथ आपके विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत करें।
- 20) किसी भी निविदा को सकारण निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को होगा।
- 21) प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।
- 22) आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
- 23) निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।
- 24) सुपरस्टॉकिस्ट उपभोक्ताओं को MRP पे ही साँची दुग्ध पदार्थ विक्रय कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। MRP से अधिक विक्रय होने पर वैधानिक कार्यवाही के लिए सुपरस्टॉकिस्ट जिम्मेदार होंगे।
- 25) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर माननीय प्रबंध संचालक महोदय, मध्यप्रदेश को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमि. भोपाल का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 26) निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकर्ता द्वारा यदि कार्य मे अनियमितता की जाती है तो एक माह पूर्व नोटिस देकर कार्य से पृथक किया जावेगा।
- 27) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र इन्दौर रहेगा।

मेरे द्वारा साँची दुग्ध पदार्थ, बटर, आईस्क्रीम सुपरस्टॉकिस्ट हेतु आवेदन एवं उसकी समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 27 तक वर्णित शर्तों एवं निर्देशों का पालन नहीं करता हूँ एवं मेरी अर्नेस्ट मनी राजसात करने का प्रबन्ध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

नाम –

हस्ताक्षर

❖ साँची दुग्ध पदार्थ, बटर, आईस्क्रीम सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता हेतु ❖
ई-निविदा प्रपत्र/आवेदन



1. आवेदक का नाम ■ _____
2. पिता/पति का नाम ■ _____
3. स्थाई पता ■ _____
(प्रमाण सहित) _____
4. व्यवसाय का पता ■ _____

- (अ) दूरभाष नं. ■ _____
- (ब) मोबाईल नं. ■ _____
5. शैक्षणिक योग्यता ■ _____
6. आवेदनकर्ता का वर्ग ■ _____
(अजा, अजजा, पि. वर्ग, सामान्य)
7. आवेदक/फर्म का नाम/यदि ■ _____
फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनर-
शिप फर्म की पूर्ण जानकारी _____
(दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना
अनिवार्य है।
8. वर्तमान व्यवसाय ■ _____

9. वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करें) ■ -----
10. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.) ■ -----
- (अ) चल-अचल सम्पत्ति का ब्योरा। -----
- (ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में जमा राशि। -----
11. सुपरस्टाकिस्ट हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था। ■ -----

नोट- परिवहन दर वास्तविक संचालन व्यय से कम होने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया जावेगा।

दिनांक -

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

विपणन मार्ग की जानकारी

विपणन मार्ग का नाम	अनुमानित प्रदाय केटों की संख्या	रेफ्रीजरेटेड वाहन की प्रस्तुत दर
संपूर्ण इन्दौर शहर के 19 झोन मे साँची दुग्ध पदार्थ, बटर, आईसक्रीम वितरण हेतु पाँच रेफ्रीजरेटेड वाहन ।	1200	ऑनलाईन दर प्रति लीटर या प्रति किलो मे प्रस्तुत करें।

साँची दुग्ध पदार्थ, बटर, आईसक्रीम सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता हेतु फाइनेंशियल बीड

(अ)

विपणन मार्ग का नाम	अनुमानित प्रदाय केटों की संख्या	रेफ्रीजरेटेड वाहन की प्रस्तुत दर
संपूर्ण इन्दौर शहर के 19 झोन में साँची दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु मांग एवं रेफ्रीजरेटेड वाहन (2 ⁰ C से 4 ⁰ C) की क्षमता अनुसार जिसमें सुपर स्टॉकिस्ट मार्जिन एवं लोडिंग अनलोडिंग शामिल है को ध्यान में रखते हुए परिवहन दर प्रस्तुत करना होगी।	1000	ऑनलाईन दर प्रति लीटर या प्रति किलो में प्रस्तुत करें।

(ब)

विपणन मार्ग का नाम	अनुमानित प्रदाय केटों की संख्या	रेफ्रीजरेटेड वाहन की प्रस्तुत दर
संपूर्ण इन्दौर शहर के 19 झोन में साँची आईसक्रीम एवं बटर वितरण हेतु मांग एवं रेफ्रीजरेटेड वाहन (-18 ⁰ C से -25 ⁰ C) की क्षमता अनुसार जिसमें सुपर स्टॉकिस्ट मार्जिन एवं लोडिंग अनलोडिंग शामिल है को ध्यान में रखते हुए परिवहन दर प्रस्तुत करना होगी।	200	ऑनलाईन दर प्रति लीटर या प्रति किलो में प्रस्तुत करें।